महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्याः– 02/नौ–5–2015–197बजट/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2015

विषयः–प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–5251/नौ–5–14–329सा/14, दिनांक 09.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु कतिपय दिशा–निर्देश दिये गये है। उक्त के संबंध में विभिन्न नागर निकायों से प्राप्त हो रहे प्रस्तावों के अवलोकन के उपरान्त निम्न स्थिति पायी गई हैः–

(1) एक–एक नगर पंचायत/नगर पालिका परिषदों में 04 से लेकर 15 शमशान घाटो के विकास के प्रस्ताव किये गये हैं, जिससे जातियों/वर्णो के नाम से भी प्रस्ताव किये गये है जैसे–हरिजन बस्ती, अग्रवाल, पण्डित, वैश्य, जाट, वाल्मीकि एवं वर्मा आदि के नाम से शमशान घाटों का विकास। साथ ही कहीं–कहीं कब्रिस्तान के कार्य भी सम्मिलित किये गये है।

(2) प्रस्ताव में उल्लिखित दरों को पी0डब्लू0डी0 के अधिशासी अभियन्ता से सत्यापित नही कराया गया है, कही–कही अवर अभियन्ता से मूल्यांकन कराया गया है।

(3) मानचित्र/फोटो प्रतियां नहीं लगायी जा रही है। मात्र पेन/पेन्सिल से ही सादे पेपर पर साइड का मानचित्र दर्शाया जा रहा है।

(4) कही–कही ठेकेदार का 10–15 प्रतिशत लाभ जोड़कर आगणन बनाये जा रहे है। अधिकतर डी0पी0आर0 में कन्टेजेन्सी जोड़कर प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। कहीं–कहीं डीजल जनरेटर के प्रस्ताव भी किये जा रहे है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रस्ताव निम्न दिशा–निर्देशो के अनुसार संरचित/गठित कराकर शासन को एक सप्ताह मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

(1) आगणन तैयार कराकर दरों का मूल्यांकन अधिशासी अभियन्ता,पी0डब्लू0डी0 से कराया जाय। अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0 द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट भी अंकित की जाय। मात्र प्रतिहस्ताक्षर से डी0पी0आर0 मूल्यांकित नहीं माना जायेगा। आगणन मूलरूप में ही सन्दर्भित किये जांय।

(2) अन्त्येष्टि स्थलों के मानचित्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाय, जो सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित हो। साथ ही स्थल का फोटो भी संलग्न किया जाय। द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ कराये गये कार्यों की फोटो प्रति भी संलग्न की जाय।

(3) आगणन में ठेकेदारों का लाभ तथा कन्टेजेन्सी को सम्मिलित न किया जाय, जैसा कि इन मदों को अनुमन्य नही किया गया है। डीजल जनरेटर आदि के प्रस्ताव सम्मिलित न किये जाय।

(4) यथासम्भव अन्त्येष्टि स्थलों के विकास कार्य उन्हीं स्थलों के सम्मिलित किये जाय,जो पहले से विद्यमान है और जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है अथवा खुले स्थान पर है।

(5) प्रस्ताव न्यूनतम आवश्यकतानुसार तैयार कराये जायें। प्रस्ताव में उन्हीं कार्यो को सम्मिलित किया जाय, जो शासनादेश दिनांक 09.09.2014 में उल्लिखित है।

(6) अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के उपरान्त उनके रख–रखाव का दायित्व सम्बंधित नगरीय निकाय का होगा। इस हेतु सम्बंधित नगरीय निकाय के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायें।

3– उक्त अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के प्रस्ताव शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 09.09.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार संबंधित नागर निकायों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जबकि प्रश्नगत कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण धनराशि व्यय नहीं हो पा रही है। अतः इस योजना के अन्तर्गत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में अवश्य उपलब्ध कराये जाय।

भवदीय,

02/01/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।